

सहकारिता का असली अर्थ संकट के समय संस्था का संबल बनना है, न कि घाटे और बढहाली के बीच कागजी नीतियों और निरर्थक खर्चों से उसकी सांसें घोटना.....

**अब नेहरू सहकार
भवन में चलेगा क्षेत्रीय
अंकेक्षण कार्यालय**

जयपुर। सहकारिता विभाग ने क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिका, सहकारी समितियों (जयपुर) कार्यालय के स्थान में बड़ा बदलाव किया है। इस कार्यालय को तत्काल प्रभाव से नेहरू सहकार भवन की छठी मंजिल पर स्थित स्पिनफैड परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा। इस संबंध में सहकारिता समितियों के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मानव संसाधन विकास) भीमा राम ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेशानुसार, यह स्थानांतरण स्पिनफैड द्वारा दी गई सहमति के आधार पर किया जा रहा है। अवसायक स्पिनफैड को क्षेत्रीय अंकेक्षण कार्यालय के लिए जगह उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। नए स्थान के उपयोग के एवज में क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी कार्यालय द्वारा नियमानुसार स्पिनफैड को किराया दिया जाएगा। इस बदलाव से विभागीय प्रशासनिक कार्यों के संचालन में और अधिक सुगमता आएगी।

सहायक रजिस्ट्रार गुमान सिंह शेखावत को किया 'एपीओ'

भीलवाड़ा। सहकारिता विभाग ने भीलवाड़ा स्थित सहकारीरा उपभोक्ता होलसेल भण्डार के महाप्रबंधक एवं सहायक रजिस्ट्रार गुमान सिंह शेखावत को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा (एपीओ) में रख दिया है। इस संबंध में सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद सहाय नागा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार, सहायक रजिस्ट्रार गुमान सिंह शेखावत को एपीओ अवधि के दौरान अपना उपस्थिति स्थल रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान के जयपुर स्थित प्रधान कार्यालय में नियत किया गया है। उन्हें अग्रिम आदेशों तक नियमित मुख्यालय में ही अपनी जयपुर उपस्थिति देनी होगी।



शासन सचिव की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन : विभिन्न बैंकों की वित्तीय सेहत का होगा गहन विश्लेषण

सहकारी बैंक कर्मचारियों के 17वें वेतन समझौते हेतु उच्चस्तरीय समिति गठित; वित्तीय स्थिति का अध्ययन कर देगी सिफारिशें

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर | प्रदश के सहकारी बैंकों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लंबे समय से प्रतीक्षित 17वें वेतन समझौते का प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से तेज कर दी गई है। राज्य सरकार के सहकारी विभाग ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, सहकारी बैंकों के वेतनमान और अन्य सेवा सुविधाओं में संशोधन के संबंध में सुझाव देने के लिए शासन सचिव सहकारी विभाग की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय विशेष समिति का गठन किया है। इस निर्णय से राज्यभर के सहकारी संस्थानों के हजारों कर्मचारियों में नए वेतनमान को लेकर उम्मीदें जग गई हैं। गठित की गई यह समिति, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (जयपुर) के साथ-साथ राज्य

राजस्थान के सहकारी बैंकों में बिना स्वीकृति प्रतिनियुक्ति से वित्तीय अनुशासन प्रभावित और खजाने पर 68 लाख से अधिक का अतिरिक्त भार

सहकारी बैंकों में प्रतिनियुक्ति का 'अतिरेक'

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.

जयपुर। राजस्थान के सहकारी बैंकों में इन दिनों प्रतिनियुक्ति का एक ऐसा सिलसिला चल रहा है, जो न केवल वित्तीय अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि बैंकों के वित्तीय संसाधनों पर भी भारी पड़ रहा है। राजस्थान विधानसभा में हाल ही में प्रस्तुत एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में सामने आए तथ्यों ने सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। प्रदेश के एपेक्स बैंक और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में चल रहे प्रतिनियुक्ति के इस दौर के कारण एक तरफ जहाँ वित्तीय अनुशासन प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बैंकों का खजाना भी तेजी से रिक्त होतता जा रहा है। विधानसभा में दिए गए विवादास्पद लिखित उत्तर से यह स्पष्ट है कि इन बैंकों में स्वीकृत पदों की संख्या के

नियमों की अनदेखी की जा रही है। यहां सहायक, उप और संयुक्त पंजीयकों की बड़ी संख्या को प्रशासनिक आवश्यकता का हवाला देकर तैनात किया गया है, किंतु यह व्यवस्था बैंकों के लिए प्रतिकूल साबित हो रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इन विशिष्ट प्रतिनियुक्तियों के कारण पिछले तीन वर्षों में बैंकों पर 68 लाख 50 हजार 253 रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा है। आम जनता की सेवा और कृषि विकास के लिए निर्धारित यह निधि चुनिंदा अधिकारियों की सुविधाओं पर खर्च की जा रही है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की अनिवार्य स्वीकृति लेना भी आवश्यक नहीं समझा गया। नियमों की इस खुली अनदेखी को ने यह सिद्ध कर दिया है कि इन संस्थानों को वित्तीय हितों के बजाय अधिकारियों के लिए सुविधा केंद्र माना जा रहा है।

प्रदेशभर में 990 'ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों' से मिलेगा स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन

एसएचजी सशक्तिकरण अभियान के तहत प्रति कार्यक्रम 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता से वीएलपी का आयोजन करेगा नाबार्ड

मारवाड़ का मित्र

Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) के राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बैंक सहबद्धता कार्यक्रम को मजबूत करने हेतु विशेष निदेश-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत, प्रदेशभर में ग्रामीण स्तर पर संवाद और वित्तीय सेवाओं के विस्तार के लिए 'ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों' (वितेज लेवल प्रोग्राम्स - वीएलपी) के आयोजन का खाका तैयार किया गया है। नाबाई के राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय के उप महाप्रबंधक राजकुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य बैंकर्स, स्वयं सहायता समूहों के प्रोत्साहन संस्थानों (एसएचपीआई/एनजीओ), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल व संवाद को बेहतर करना है। इस बेहतर समझदारी समूहों को आसानी से ऋण (क्रेडिट लिंकेज) मिलने के साथ-साथ ऋण वसूली प्रक्रिया में भी उल्लेखनीय सुधार आ सकेगा। वर्ष 2026-27 के दौरान राजस्थान राज्य के विभिन्न बैंकों के

पैक्स कर्मचारियों की स्क्रीनिंग का मामला

स्टे हटाने के लिए हाईकोर्ट पहुँची सरकार और लिमिटेशन एक्ट की धारा-5 के तहत नोटिस जारी

मारवाड़ का मित्र

Www.marwadkamitra.in

जोधपुर। पैक्स कर्मचारियों की स्कीनिंग से जुड़े में राज्य सरकार ने राजस्थान सहकारी कर्मचारियों के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए थगान (स्टे) को हटवाने की कवायद तेज कर दी है। इस में पहले स्कीनिंग और जाँच के लिए राज्य समिति का गठन किया गया था, जिसके खिलाफ राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर स्टे प्राप्त कर लिया था। अब स्

पोर्टल के जरिए ही होंगे वीएलपी के सभी दावे, नाबार्ड ने दिए स्पष्ट निर्देश

स्वयं सहायता समूहों के लिए आयोजित होने वाले ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों (वीएलपी) की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया गया है। नाबार्ड ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2026-27 के लिए सभी अनुदान प्रस्ताव (ग्रांट प्रोजेक्ट) और वित्तीय दावे केवल नाबार्ड के 'इंगेज पोर्टल' के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा, किसी अन्य माध्यम से भेजे गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस योजना के तहत राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक को 410, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को 25 तथा विभिन्न जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) को मिलाकर कुल 490 वीएलपी आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रमों के सफल समापन के बाद बाँटों को फोटोग्राफ, उपस्थिति पत्रक (अटेंडेंस शीट) और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम) की अनुशंसा के साथ नाबार्ड कार्यालय को प्रेषित करनी होगी।

लिए कुल 990 ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए प्रति कार्यक्रम अधिकतम 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान रखा गया है। इन सभी प्रस्तावों और दावों (क्लेम्स) को पारदर्शिता के साथ केवल नाबार्ड (क्लेम्स) के 'इंगेज पोर्टल' (इंगेज पोर्टल) के माध्यम से ही प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। पोर्टल पर

स्वीकृति मिलने के बाद ही वीएलपी का आयोजन किया जा सकेगा। इन आयोजनों के दौरान समूहों के श्रेणीकरण, ऋणों की सैद्धांतिक मंजूरी, चेकबुक वितरण, माइक्रो एटीएम के उपयोग की जानकारी, बचत खाते खोलना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से हितग्राहियों को जोड़ना जैसी प्रमुख गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी।



नया सीजन 35 लाख टन भंडार के होगा शुरू

नई दिल्ली: शुगर इंडस्ट्री ने कहा कि देश में चीनी की कोई भी कमी नहीं है। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएसएमए) और नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज का कहना है कि के साथ पहली अक्टूबर से नया शुगर के सीजन शुरू होगा। मिलें 10-15 दिन पहले शुरू करने की तैयारी में है। संगठनों ने चीनी की कीमतों बढ़ाने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि 2025-26 सीजन में ज्यादातर समयया एक्स-मिल भाव उत्पादन लागत से कम रहे। अगस्त में भाव 49-50 रुपये किलो पहुंचे, लेकिन इसका असर 2-3 लाख टन चीनी पर ही पड़ा।

उच्चस्तरीय निकाय अपने ठोस सुझाव और सिफारिशें शासन को सौंपेगा, जिसके बाद आगामी वित्तन समझौते की रूपरेखा तय की जाएगी। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह समिति कर्मचारी संगठनों की ओर से समय-समय पर सौंपे गए ज्ञापनों और मांगपत्रों का भी विस्तार से परीक्षण करेगी। प्रक्रिया के तहत, समिति के सदस्य विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वित्तीय चर्चा और संवाद स्थापित करेंगे, ताकि उनकी वास्तविक समस्याओं और मांगों को समग्र रूप से समझा जा सके। माना जा रहा है कि इस समिति की रिपोर्ट आने के बाद, राज्या के सहकारी क्षेत्र के कर्मियों के वित्तन में संशोधन और अन्य वित्तीय लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे बैंकिंग कामकाज में और अधिक पारदर्शिता आएगी।

वित्तीय सुधार और वेतन संशोधन: समिति के समक्ष नई चुनौतियाँ



के सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड (जयपुर) और राज्य के तमाम प्राथमिक

सहकारी भूमि विकास बैंकों में कार्यरत कर्मियों के वेतन ढांचे का गहन विश्लेषण करेगी। समिति का मुख्य दायित्व यह होगा

कि वह विभिन्न बैंकों की वित्तीय सेहत और उनकी आर्थिक स्थिति का बारीकी से अध्ययन करे। इसके आधार पर यह

एकतरफा फैसलों से चरमराती व्यवस्था...

देश भर में ‘सहकार से समृद्धि’ के लुभावने नारों की गूंज तो सुनाई दे रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इस दावे के ठीक उलट कहानी बयां कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा सहकारी आंदोलन आज भारी कुप्रबंधन, प्रशासनिक मनमानी और लचर कार्यसंस्कृति के चलते रसातल की ओर अग्रसर है। जिस व्यवस्था की बुनियाद पारस्परिक विश्वास, आत्मनिर्भरता और किसान कल्याण पर टिकी थी, वह अब कागजी आंकड़ों और कड़े सरकारी फरमानों के जाल में उलझकर रह गई है। जैसलमेर जिले में अल्पकालीन फसली ऋणों की बेहद कम वसूली और बढ़ते एनपीए को लेकर दर्जनों ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों पर निलंबन की गाज गिराया जाना इसी बदहाली का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई कर देने भर से इस गहरी होती बीमारी का इलाज संभव है? सच तो यह है कि वर्षों से सहकारिता के मूल सिद्धांतों की अनदेखी की जा रही है। एक तरफ सहकारिता विभाग स्वायत्त समितियों के कामकाज में अनावश्यक दखल बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ पिछले एक दशक से नई भर्तियों पर ताला लगा हुआ है। सीमित और बदहाल संसाधनों के भरोसे चल रहे तंत्र से चमत्कारी नतीजों की उम्मीद करना बेमानी है। इसके अलावा ब्याज मुक्त योजनाओं में अनुदान की समय पर अदायगी न होना और कंप्यूटीकरण के नाम पर अकुशल प्रबंधन को थोप देना व्यवस्था को सुधारने के बजाय और अधिक उलझा रहा है। जब समितियों में ऋण वितरण ही बेहद कम रह गया है, तो किसानों का कर्ज के दुष्चक्र में फंसना और खाते अवधिपार होना लाजिमी है। यदि सहकारी आंदोलन से आमजन और अन्नदाता का भरोसा इसी तरह उठता रहा, तो यह न केवल इस सहकारी आंदोलन की हार होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा आघात सिद्ध होगा। शासन-प्रशासन को यह समझना होगा कि सहकारिता को महज सरकारी नियंत्रण और कागजी औपचारिकताओं का जरिया नहीं बनाया जा सकता। जब तक पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, संस्थागत स्वायत्तता और नीतियों में व्यावहारिक संतुलन बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक समृद्धि के दावे केवल विज्ञापनों तक ही सीमित रहेंगे। वक्त का तकाजा है कि नीति-नियंता वक्त रहते जमीनी कमियों को स्वीकारें और व्यवस्था में बुनियादी सुधार की दिशा में कठोर निर्णय लें, ताकि डूबते सहकार आंदोलन को समय रहते उबारा जा सके।

घाटे और उपेक्षा के भंवर में डगमगाता जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं का ढांचा...



-प्रकाश वैष्णव
लेखक स्तंभकार, संपादक एवं सहकार चिंतक हैं।

राजस्थान के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक किराए के भवनों के निरर्थक अपव्यय, समीक्षाहीन व्यवस्था, व्यावसायिक विविधीकरण की कमी और लचर प्रशासनिक नियंत्रण के कारण गंभीर वित्तीय घाटे तथा अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं।

प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी माने जाने वाले जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की वर्तमान कार्यप्रणाली और उनकी वित्तीय प्रासंगिकता पर गंभीर प्रश्नचिह्न उपस्थित होना अत्यंत चिंताजनक है। राजस्थान के ग्रामीण अंचल की 29,639 बस्तियों और गाँवों की विशाल जनसांख्यिकी को अपनी परिधि में समेटे हुए राज्य के 29 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की 304 शाखाएं आज भी स्व-स्वामित्व के भवनों से वंचित होकर किराए के परिसरों में संचालित होने को विवश हैं। वास्तविकता तो यह है कि इनमें से अनेक केंद्रीय सहकारी बैंक शाखाएं निरंतर वित्तीय घाटे की गर्त में धकेल जा रही हैं, जो समूचे सहकारी बैंकिंग तंत्र की मूल धुरी और वित्तीय आधारशिला को क्षीण एवं कमजोर कर रही हैं। यह स्थिति मात्र एक ढांचागत न्यूनता नहीं, बल्कि इस समूचे सहकारिता तंत्र की रणनीतिक विफलता और व्यावसायिक दूरदर्शिता के अभाव का जीवंत साक्ष्य है। यदि इन किराए के भवनों में संचालित 304 शाखाओं के मासिक आय-व्यय के अंतर और उनके विशालकाय प्रशासनिक तथा संचलनिक व्यय का एक निष्पक्ष, उच्च-स्तरीय एवं पारदर्शी परीक्षण कराया जाए, तो इन संस्थानों की जर्जर आर्थिक काया और छद्म वित्तीय स्थिरता का आवरण स्वतः निरस्त हो जाएगा। घोर उपेक्षा का आलम यह है कि राज्य स्तर से एक बार भी इन सहकारी बैंक शाखाओं की प्रगति



रिपोर्ट तक तलब नहीं की गई है और न ही कभी राज्य स्तर पर इन शाखाओं के वास्तविक प्रदर्शन की निष्पक्ष समीक्षा करने का प्रयास हुआ है। अतः यह अनिवार्य हो जाता है कि राज्य स्तर पर इन घाटे में चल रही शाखाओं का अविलंब गहन परीक्षण किया जाए और किराए के भवनों पर होने वाले धन के निरर्थक अपव्यय को तत्काल रोकते हुए, ऐसी अनुपयोगी व घाटे वाली शाखाओं को समीक्षा के उपरांत पूर्णतः बंद कर दिया जाना चाहिए। वस्तुतः अधिकांश शाखाओं की व्यावसायिक गतिविधियां शासन की ब्याज-मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण योजना की संकुचित परिधि तक ही सीमित रह गई हैं, जिसने बैंकों की मौलिक आय-सृजन क्षमताओं को कुंठित कर दिया है। अतीत के चार वर्षों के अंतराल में यद्यपि राज्य प्रशासन द्वारा सहकारिता बैंकिंग क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण एवं ग्रामीण जनता के बहुआयामी उत्थान हेतु विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का सूत्रपात किया गया—चाहे वह ग्राम आवास ऋण योजना हो,

आजीविका ऋण योजना हो या फिर उच्च मार्जिन वाली गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना—परंतु यह विडंबना ही है कि लचर संस्थागत दृष्टिकोण और रूढ़िवादी रुझान के कारण ये जनकल्याणकारी नीतियां मैदानी धरातल पर पूर्णतः अमलीजामा पहनने में निष्प्रभ सिद्ध हो रही हैं। मैदानी अमले का समस्त ध्यान केवल रूटीन प्रशासनिक औपचारिकताओं और वेतनमान संबंधी समझौतों तक ही केंद्रित रह गया है। पूर्व में जब इन ग्रामीण शाखाओं को निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रस्ताव उभरा था, तब नियामक व्यवस्था ने स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञप्त ये संस्थान व्यावसायिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर संचालित होते हैं, अतः इन्हें अपने अवसंरचनात्मक व्यय स्वयं के शुद्ध लाभ एवं संचित कोषों से ही वहन करने होंगे। किंतु, निरंतर घटते आंतरिक आरक्षित कोष और नए व्यावसायिक ऋण उत्पादों के प्रति उपेक्षात्मक रवैया यदि इसी प्रकार जारी रहा, तो निकट भविष्य में अस्तित्व संकट के मेघ गहराने से रोके नहीं जा

सकेंगे और तिलम संघ की तर्ज पर इन गौरवशाली संस्थाओं की परिसंपत्तियों की नीलामी की अप्रिय नौबत आ सकती है। व्यवस्था के इस चरमराते ढांचे के मध्य संस्थानों के प्रबंध निदेशकों की स्थिति भी अत्यंत असहाय और मूकदर्शक प्रतीत होती है, जो पैक्स कम्प्यूटीकरण के जटिल संजाल और प्रशासनिक विसंगतियों के बीच निरंतर पिस रहे हैं। मैदानी स्तर पर न तो अनुपयोगी परिसंपत्तियों (एनपीए) और कालातीत ऋणों की निष्ठापूर्वक वसूली हेतु कोई कठोर नीतिगत प्रयास दिखते हैं और न ही बैंकों की अमानत निधि (डिपॉजिट्स) में संवर्धन करने की कोई ललक परिलक्षित होती है। स्थिति की विद्वृप्ता इस बात से सिद्ध होती है कि शीर्ष नोडल एजेंसियों को आधिकारिक बैठकों के माध्यम से कर्मचारियों को अपनी अधिकृत यूजर आईडी दूसरों को न सौंपने और योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के बुनियादी निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं। यह स्थिति स्पष्ट रूप से यह उजागर करती है कि नियंत्रण अब सुव्यवस्थित प्रशासनिक नियमों के बजाय व्यक्तिगत मनमानी और शिथिलता के हवाले हो चुका है। जब तक सहकारी बैंक पारंपरिक फसली ऋणों के संकीर्ण खोल से बाहर निकलकर आधुनिक बैंकिंग पद्धतियों, व्यावसायिक ऋण संरचनाओं और उत्तरदायी कार्यसंस्कृति को आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक इनका पुनरोद्धार असंभव है। (यह लेखक के अपने विचार हैं)

सहकारी नवाचार के लिए 25 लाख रुपये के अनुदान की पेशकश की

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने सहकारी क्षेत्र में नवाचार और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ‘सहकार इनोवेशन स्क्रीम’ (एसआईएस) शुरू की है। इस अनुदान आधारित योजना का उद्देश्य प्राथमिक सहकारी समितियों को नए विचारों और परियोजनाओं को व्यवहारिक एवं टिकाऊ उद्यमों में बदलने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू की गई इस योजना के तहत पात्र सहकारी समितियों को नवाचार, व्यवहारिकता और प्रभाव वाली परियोजनाओं के लिए 100% अनुदान, अधिकतम 25 लाख रुपये तक दिया जाएगा। अतिरिक्त वित्तीय जरूरत होने पर एनसीडीसी की ओर से ऋण सहायता का प्रावधान भी किया गया है। योजना के तहत नई तकनीकों को अपनाने, नवीन उत्पाद एवं सेवाएं विकसित करने, नए कारोबारी मॉडल तैयार करने, बाजार से बेहतर जुड़ाव बनाने और टिकाऊ समाधान विकसित करने वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। एनसीडीसी के अनुसार, जमीनी स्तर की सहकारी समितियों के पास कई बार नए और उपयोगी विचार होते हैं, लेकिन पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे उन्हें बड़े स्तर पर लागू नहीं

कर पातीं। एसआईएस के माध्यम से इस वित्तीय बाधा को कम करने में मदद मिलेगी और समितियां अपने संचालन को आधुनिक बनाने, तकनीक अपनाने तथा नए क्षेत्रों में विविधीकरण की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी। इस योजना का लाभ कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और ग्रामीण सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली सहकारी समितियों को मिल सकता है। डिजिटल समाधान, मूल्यवर्धन, बेहतर उत्पादन प्रणाली, नवीन उत्पाद एवं सेवाओं तथा टिकाऊ कारोबारी प्रक्रियाओं से जुड़ी परियोजनाएं इसके दायरे में आ सकती हैं। यह पहल एनसीडीसी के सहकारी क्षेत्र में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। इससे पहले एनसीडीसी की ‘युवा सहकार’ जैसी पहलें भी नवाचार आधारित नई सहकारी समितियों और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करती रही हैं। सहकार इनोवेशन स्क्रीम के जरिए एनसीडीसी का लक्ष्य सहकारी समितियों को पारंपरिक गतिविधियों से आगे बढ़ाकर आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ कारोबारी समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे जमीनी स्तर पर सहकारी संस्थाओं की आर्थिक क्षमता मजबूत होने के साथ ग्रामीण विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।



शिक्षा ऋण क्रेडिट गारंटी योजना में सहकारी बैंकों को मिली नई भूमिका

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली। भारत सरकार ने शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएफएसईएल) के तहत अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को सदस्य ऋणदाता संस्थान (एमएलआई) के रूप में शामिल करने का प्रावधान किया है। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक सीजीएफएसईएल के तहत एमएलआई के रूप में शामिल किए जा सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार, पात्रता के लिए संबंधित बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल होना आवश्यक है। साथ ही, बैंक पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान आरबीआई के सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के अधीन नहीं रहा होना चाहिए। बैंक पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई मौद्रिक दंड भी नहीं

₹ सहकारी बैंकों के लिए पात्रता और वित्तीय मानक

पात्रता एवं विनियामक मापदंड
वित्तीय एवं प्रदर्शन संबंधी मानक

- **भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची:** संबंधित सहकारी बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की ‘दूसरी अनुसूची’ में शामिल होना अनिवार्य है।
- **पर्यवेक्षी कार्रवाई रूपरेखा:** बैंक पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी कार्रवाई रूपरेखा के अधीन नहीं रहा होना चाहिए।
- **दण्ड एवं मौद्रिक जुर्माना:** बैंक की पारदर्शिता और प्रबंधन गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई मौद्रिक जुर्माना न लगाया गया हो।

लगाया गया होना चाहिए। वित्तीय और प्रदर्शन संबंधी मानदंडों के तहत बैंक का कैपिटल टू रिस्क (वेटेड) एसेट्स रेशियो (सीआरएआर) पिछले दो वित्तीय वर्षों में कम से कम 11.5 प्रतिशत होना चाहिए। इसके अलावा, पिछले ऑडिटेड वित्तीय वर्ष के अनुसार बैंक की न्यूनतम नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये, सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (जीएनपीए) 7

प्रतिशत से कम और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनएनपीए) 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैंक ने पिछले चार वित्तीय वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों में शुद्ध लाभ अर्जित किया हो, यह भी अनिवार्य शर्त है। यदि किसी वर्ष बैंक को शुद्ध घाटा हुआ है, तो उस वर्ष शहरी सहकारी बैंक के लिए परिचालन लाभ दर्ज करना आवश्यक होगा। अधिसूचना

के साथ जारी सूची में 34 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और 52 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को शामिल किया गया है। सूची में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी बैंक शामिल हैं। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) इन अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की पात्रता का

समय-समय पर तथा वार्षिक आधार पर आकलन करेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना के तहत एमएलआई के रूप में शामिल बैंक निर्धारित पात्रता मानदंडों का लगातार अनुपालन करते रहें। हालांकि, अधिसूचना में इन दोनों श्रेणियों के सहकारी बैंकों को शामिल किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक बैंक स्वतः ही

सीजीएफएसईएल के तहत पात्र हो गया है। किसी बैंक को एमएलआई के रूप में शामिल होने के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा और आगे भी उनका अनुपालन बनाए रखना होगा। एनसीजीटीसी के आवधिक और वार्षिक आकलन के आधार पर उनकी पात्रता और योजना के तहत भागीदारी जारी रहेगी।

सीसीबी प्रधान कार्यालय में होगी संयुक्त आमसभा, 2026-27 के नए बजट और साख सीमा का होगा निर्धारण

जालोर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की 65वीं व 66वीं AGM 29 सितंबर को, वित्तीय लक्ष्यों और बजट पर होगा मंथन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर | सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की 29 सितंबर 2026 को दोपहर 12:00 बजे आयोजित होने वाली 65वीं एवं 66वीं वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय लक्ष्यों और बजट पर मंथन किया जाएगा। सीसीबी प्रबंध निदेशक नारायण सिंह ने जानकारी देते हुए सभी सदस्यों को इसमें सादर आमंत्रित किया है। जिले के सहकारी आंदोलन को नई गति और दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक के प्रधान कार्यालय (बापू नगर कॉलोनी, बड़ी पोल के बाहर, जालोर) में होने वाली यह संयुक्त आमसभा बैंक के बीते वित्तीय वर्षों के सफर की समीक्षा करने के साथ-साथ भविष्य के लिए नए वित्तीय

अंशधारियों को लाभांश वितरण और नए ऑडिटर की नियुक्ति पर होगा विचार



जालोर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की होने जा रही वार्षिक साधारण सभा में इस बार अंशधारक सदस्य सहकारी समितियों को लाभांश वितरण किए जाने के प्रस्ताव पर भी विशेष रूप से विचार किया जाएगा। बैंक के अतीत के वित्तीय प्रबंधन और वर्तमान कार्य-परिदृश्य की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि वह अपने अंशधारियों को कितना आर्थिक लाभ पहुंचा पाता है। बैठक के दौरान वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए नए अंकेक्षक (ऑडिटर) की नियुक्ति का अनुमोदन भी किया जाएगा, जो बैंक के आगामी वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करेगा। बैंक प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सभा में भाग लेने के लिए सदस्य संस्था का प्रतिनिधित्व केवल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अधिकृत प्रशासक द्वारा ही किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार के व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव के लिए सभा से 72 घंटे पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बैंक अपने प्रशासनिक कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता और नियमबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है।

लक्ष्यों का निर्धारण भी करेगी। बैठक के दौरान मुख्य रूप से वर्ष 2024-25 और 2025-26 के अंकेक्षित संतुलन पत्रों, लाभ-हानि खातों, तथा 'सीआरएआर' एवं 'डिस्कलोजर

ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन' की पुष्टि की जाएगी। इसके अलावा, गत वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में उल्लिखित आक्षेपों की अनुवर्ती कार्रवाई और उनकी पूर्ति का अनुमोदन

किया जाएगा, जो बैंक की वित्तीय पारदर्शिता को और मजबूत करेगा। बैठक में वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के लिए बैंक की अधिकतम साख सीमा का निर्धारण, राजस्थान

सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2003 की धारा 61 के तहत रजिस्ट्रार की छूट की पुष्टि, तथा आगामी वर्ष 2026-27 के नए बजट का अनुमोदन भी किया जाएगा।

अलवर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक: डेढ़ दशक का इंतजार खत्म, निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

अलवर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में संजय सिंह नरूका निर्विरोध चेयरमैन और इंद्रजीत यादव बने वाइस चेयरमैन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

अलवर। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा उसकी नियमित चुनाव प्रक्रिया और आम जनता की भागीदारी में बसती है। सहकारिता आंदोलन, जो मूल रूप से 'सबका साथ, सबका विकास' के सहयोगात्मक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर टिका है, उसके लिए चुनावों का समय पर होना अनिवार्य है। लेकिन यह विडंबना ही कही जाएगी कि अलवर जिले में 'दी अलवर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक' के संचालक मंडल का चुनाव पूरा होने में पूरे 15 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। डेढ़ दशक के इस लंबे अंतराल के बाद आखिरकार बैंक में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली हुई है, जिसने सहकार से जुड़े किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों में एक नई उम्मीद जगाई है।



दरअसल, जिले में 15 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दी अलवर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दिल्ली रोड स्थित इंकार होटल में निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 45 (12) के तहत चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के आधिकारिक निर्वाचन

परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इसमें चेयरमैन पद पर अलवर क्रय-विक्रय सहकारी समिति के प्रतिनिधि संजय सिंह नरूका को निर्विरोध चुना गया है। वहीं, मैनपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., मुंडावर के इंद्रजीत यादव निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित में राजस्थान सहकारी सोसायटी घोषित किए गए हैं। इन परिणामों की घोषणा के बाद से ही विजयी प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में जश्न का माहौल बना हुआ है।

संचालक मंडल चुनाव परिणाम

निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, इससे पूर्व संचालक मंडल के वार्ड स्तरीय चुनावों में वार्ड 1 से श्रीमती तीजो मीणा, वार्ड 2 से लक्ष्मण सिंह, वार्ड 3 से भरतलाल मीणा, वार्ड 4 से बट्टी प्रसाद, वार्ड 5 से श्रीमती सुमन देवी, वार्ड 6 से इंद्रजीत यादव, वार्ड 7 से मोहरसिंह, वार्ड 8 से नासिर खान, वार्ड 9 से रोहिताश्र यादव, वार्ड 10 से रमेश चंद यादव, वार्ड 11 से संजय सिंह नरूका तथा वार्ड 12 से श्रीमती सीता सेठी निर्वाचित घोषित किए गए थे।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 2 प्रतिशत मार्जिन राशि तुरंत जारी करने के निर्देश

ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के तहत 40 करोड़ की राशि केंद्रीय सहकारी बैंकों के खातों में ट्रांसफर

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के बिंदु संख्या 126 के तहत ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना में केंद्रीय सहकारी बैंकों को बड़ा लाभ मिला है। राज्य सरकार द्वारा दावों के विरुद्ध 40.00 करोड़ रुपए की राशि (20-20 करोड़ रुपए की दो किस्तों में) सीधे केंद्रीय सहकारी बैंकों के चालू खातों में जमा करा दी गई है। यह राशि ट्रेजरी के माध्यम से गत 10 सितंबर 2026 और 14 सितंबर 2026 को शीर्ष सहकारी बैंक में संधारित खातों में अंतरित की गई है। दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव

बैंक लिमिटेड के परिचालन अनुभाग द्वारा प्रदेश के समस्त केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को इस संबंध में आधिकारिक एडवाइस जारी कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य भर के विभिन्न जिलों जैसे जयपुर, सीकर, जोधपुर, अलवर और अजमेर समेत कुल 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों के वर्गवार दावों का निस्तारण किया गया है। राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के तहत मिले 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान में से ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) का हिस्सा तुरंत प्रभाव

से दिया जाए। बैंक के उप महाप्रबंधक (परिचालन) मनप्रीत सिंह द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय सहकारी बैंकों को मिले अनुदान पेटे से संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समितियों को देय 2 प्रतिशत मार्जिन राशि का भुगतान तत्काल सुनिश्चित कराया जाए। इस वित्तीय आवंटन से राज्य के ग्रामीण स्तर पर किसानों को मिलने वाले ब्याज मुक्त फसली ऋणों के तंत्र को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जिलों को बजट राशि वितरित की गई है।

सहकारिता की नई नींव प्रशिक्षण से सशक्त भविष्य

NCCT ने 17 जिलों के 203 जिलों में 2,502+ पैक्स के 11,399+ प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देकर क्षमता निर्माण को नई गति दी



2026-27 का लक्ष्य

250+ कार्यक्रम

12,500 प्रतिभागी

सहकारिता है तो समृद्धि है

चुंडा पैक्स में कस्टम हायरिंग सेंटर का शुभारंभ: किसानों को रियायती किराए पर मिलेंगे आधुनिक कृषि यंत्र



मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर, कृषि विभाग की महत्वाकांक्षी योजना के तहत चुंडा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड (पैक्स) में कस्टम हायरिंग सेंटर का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को बेहद उचित और रियायती किराए पर आधुनिक ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे खेती की लागत घटेगी और किसानों के साथ-साथ समिति की आय में भी इजाफा होगा। इस दौरान समिति के अध्यक्ष हनवंत सिंह ने कहा कि यह पहल ग्रामीण अंचल के छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित होगी, जो महंगे कृषि यंत्र खरीदने में असमर्थ हैं। इस अवसर पर संचालक मंडल सदस्य कैलाश माली मुलेवा, सहकारी समिति के व्यवस्थापक दिनेश कुमार प्रजापत, सहायक व्यवस्थापक पतराम सहित क्षेत्र के तमाम

गणमान्य किसान उपस्थित थे। सभी ने इस योजना को सहकारिता के इतिहास में एक मील का पत्थर बताया। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय सहकारी ढाँचे की सबसे छोटी और मजबूत इकाई पैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ रही है। ऐतिहासिक रूप से, पैक्स ने हमेशा किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाकर आसान शर्तों पर खाद, बीज और अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया है। समय के साथ पैक्स के स्वरूप में बड़ा बदलाव आया है। अब यह केवल ऋण वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुउद्देशीय व्यावसायिक केंद्रों के रूप में विकसित हो रही है। चुंडा पैक्स में खुला कस्टम हायरिंग सेंटर इसी आधुनिकीकरण का जीवंत उदाहरण है। ऐसी माली मुलेवा, सहकारी समिति के व्यवस्थापक दिनेश कुमार प्रजापत, सहायक व्यवस्थापक पतराम सहित क्षेत्र के तमाम

मारवाड़ का मित्र

जुड़े और पढ़ें हर पल की खबर

मारवाड़ का मित्र

facebook.com/marwadkamitra

visit, Like and share

फेसबुक पेज

